"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 177] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 18 जून 2010—ज्येष्ठ 28, शक 1932

गृह (जनगणना) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 जून 2010

अधिसूचना

क्रमांक एफ 7-2/गृह-दो/2010.—राज्य शासन, एतद्द्वारा जनगणना अधिनियम, 1948 (1948 का सं. 37) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, जनगणना नियम, 1990 के नियम 8 (तीन) तथा भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, के पत्रांक 9/7/2009. सी.डी. (सेन) दिनांक 15-6-2010 से प्राप्त सहमति के संदर्भ में पूर्व निर्गमित समसंख्यक आदेश दिनांक 18 मार्च, 2010 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना को करने की अंतिम तिथि रायपुर जिले के रायपुर नगर निगम क्षेत्र के लिये 22 जून, 2010 निर्धारित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दुर्गेश चन्द्र मिश्रा, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.